

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा, जिला-जोधपुर  
व इजलास-मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थी

शोहनलाल vs सरकार

किस्म मुकदमा 136 एल.आर. एक्ट

प्रकरण संख्या :- 168/2024

--:आदेश :-

दिनांक :-

प्रार्थी शोहनलाल पुत्र श्री सुराराम

जाति रकारहिमा निवासी बिलाड़ा प्रक 2 तहसील बिलाड़ा,  
जिला जोधपुर, राज. ने एक प्रार्थना पत्र बाबत राजस्व रिकॉर्ड में नाम  
दुरुस्ती का पेश किया है। प्रार्थना पत्र को जाँच हेतु तहसीलदार बिलाड़ा  
को भेजा जावे।

तहसीलदार बिलाड़ा से जाँच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें  
तहसीलदार बिलाड़ा ने अवगत करवाया है कि ग्राम बिलाड़ा प्रक 3  
जमाबन्दी सम्बत् 2076-2079 के खाता सं 562 में दर्ज अशुद्ध  
नाम शोहनलाल पुत्र सुराराम जाति रकारहिमा (सरकार)  
निवासी बिलाड़ा प्रक 2 का शुद्ध नाम शोहनलाल  
पुत्र सुराराम जाति प्रदेल निवासी बिलाड़ा की राजस्व रिकॉर्ड  
में शुद्ध किये जाने हेतु सहमत है। अतः जाँच रिपोर्ट व पत्रावली का  
अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर. एक्ट का इस्तेमाल के

अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

उप खण्ड अधिकारी  
बिलाड़ा